

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या107/2022 प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती नाम व इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136

एलआरएक्ट

व्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/11/22	<p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 21/12/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p> <p>उभय पक्षों के प्रति/अभिभाषक सघ ने न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत साहब अन्य प्रशासनिक कार्य हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 11/11/23 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सिडर)</p>	
	11/1/23	<p>वकील जयदीप सिंह ने वकील जयदीप सिंह (वकील) को वकील जयदीप सिंह के रूप में पत्र में दर्ज करके एक्ट के अन्तर्गत इस जयदीप का राजस्थान निकाह के नाम पर दस्तावेजों के मुद्रा का बलदेव सिंह पुत्र उमातर सिंह के स्थान पर बाबूलाल सिंह उर्फ उमातर सिंह जैसे नाम का निवेदन किया।</p> <p>इसने वकील जयदीप सिंह पर भरोसा किया तथा जयदीप द्वारा दस्तावेजों का प्रमाणित करने पर जयदीप को वकील का बलिबिबुगत पहचान पत्र आप्तक, शरीरकान्त जन साध्या राई आदिमें बाबूलाल सिंह उर्फ उमातर जयदीप सिंह के बलदेव सिंह दर्ज होये।</p> <p>वकील जयदीप सिंह के अन्तर्गत नामों का पत्रावली पेश होना पड़ रहा है। हाजिर याचें गोविन्दपुरा जयदीप ने अपने उपाध पत्र के बलदेव सिंह व बाबूलाल सिंह एवम् जयदीप का नाम होना बताया है जो उमातर जयदीप का पत्रावली अन्तर्गत धारा 136 LRAय खीलाव किया जाकर उचित भीत होगा है।</p> <p>इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAय खीलाव किया जाकर नाराजी (बंन 935, 936, 939, 946) उपयुक्त बिना 5 जगह 2015-20 वी. गाम के अन्तर्गत बाबूलाल सिंह शाहपुरा के वर्तमान में दर्ज नाम बलदेव सिंह पुत्र उमातर सिंह के स्थान बाबूलाल सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र उमातर सिंह को उदात्त बताया दर्ज करके जाते हैं जो वास्तविकता है। नदरिमाशाहपुरा को पालागर्भ किया जावे। पत्रावली अन्तर्गत उमातर सिंह उर्फ उमातर सिंह।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	